न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस**

**अपील संख्या–** आरटीए / 232 / 2016

उनवान

1. सुगनी पत्नी भैरू माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. देवा पिता भैरू माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. महावीर पिता भैरू माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. राधा पत्नि गोपाल माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. कालू पिता गोपाल माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. काना पिता धन्ना कुम्हार माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. हीरा पिता पिता धन्ना कुम्हार माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा
8. जीया पुत्री धन्ना कुम्हार माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. मिश्री पिता धन्ना कुम्हार माली निवासी मुरायला तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण / विपक्षीगण

बनाम

1. सोहन लाल पिता सुवालाल ब्राह्मण निवासी कानिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 07/2014 निर्णय दिनांक 17.8.2016

अभिभाषक : 1. श्री बी एल बापना, ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री गोपाल अजमेरा , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 16.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की मौजा खेडी पटवार हल्का खेजडी तहसील हुरडा की खाता संख्या 228 की आराजी नम्बर 693 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा स्थित है एवं ग्राम कानिया पटवार हल्का कानिया में खाता संख्या 764 की आराजी नम्बर 1279 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। प्रार्थी की आराजी के पास अप्रार्थीगण की ग्राम खेडी पटवार हल्का खेजडी की आराजी नम्बर 692 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा ग्राम कानिया कीआराजी नम्बर 1281/1, 1281/2, 1281/3 एवं 1281/4 स्थित है। प्रार्थी ने मौजा खेडी अपनी आराजी नम्बर 693 रकबा 3 बीघा 10 पर आने जाने के लिए विपक्षीगण की खाते की आराजी नम्बर 1281 में से होकर आने–जाने के लिए रास्ता लेने का प्रयास कर रहा हूँ परन्तु अप्रार्थीगण ने रास्ता नहीं दिया है। अतः अप्रार्थीगण की ग्राम कानिया की आराजी नम्बर 1281 व ग्राम खेडी की आराजी नम्बर 692 में से 10 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की आराजी नम्बर 1279 ग्राम कानिया व आराजी नम्बर 693 ग्राम खेडी तक जाने हेतु रास्ते के रूप में दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए एवं ग्राम कानिया की आराजी नम्बर 1279 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि के पश्चिम की दिशा में होकर आराजीन म्बर 1281/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा 05 बिस्वांसी में से 51 फीट लम्बा एवं 10 फीट चौडा यानि 510 वर्ग फीट यानि 1 बिस्वा भूमि डी एल सी दर से दुगुनी राशि न्यायालय में जमा कराये जाने की शर्त पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी सोहन लाल की आराजी नम्बर 693 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ग्राम खेडी पटवार हल्का खेजडी में स्थित है। जबकि आराजी नम्बर 1279 और अपीलार्थी संख्या 6 स 9 की आराजी नम्बर 1281/1, 1282/2, 1281/3 एवं 1281/4 ग्राम कानिया तहसील हुरडा में स्थित है। प्रार्थी/प्रत्यर्थी की आराजी नम्बर 693 जो कि पटवार क्षेत्र खेजडी में स्थित है उस पर आने–जाने का मार्ग खेजडी की आराजियात में से ही रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से ग्राम कानिया की आराजी नम्बर 1279 व 1281/1 में से नया रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम खेजडी पटवार क्षेत्र खेजडी में स्थित आराजी नम्बर 693, 694, 696, एवं 697 का एक ही चक था। जिसका खातेदार गोपाल माली था । इन चारों आराजियात में खातेदार गोपाल माली गैर मुमकिन रास्ता नम्बर 685, के बाद में आ.न 694 गोपाल माली की आराजी में होते हुए अपनी आराजी नम्बर 693 में आता–जाता था। सन् 1980 में गोपाल माली ने अपनी आराजी नम्बर 693 प्रत्यर्थी/प्रार्थी को विक्रय कर दी। जिससे सोहन लाल अब इस क्रयसुदा आराजी नम्बर 693 पर ग्राम कानिया से सदैव गैर मुमकिन रास्ता 673, 693, 685, पर होकर आराजी नम्बर 694 की मेड के सहारे सहारे होकर आराजी नम्बर 693 मेंआ जा रहा है जिसमें किसी तरह की कोई रूकावट नहीं है। पूर्व खातेदार गोपाल माली ने जब जमीन प्रत्यर्थी/प्रार्थी को विक्रय की थी तब उसे यह रास्ता दिया था और प्रत्यर्थी/प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। इस बाबत गोपाल माली ने शपथ पत्र पेश कर यह स्पष्ट किया था कि प्रार्थी सोहन लाल ब्राह्मण अपनी क्रय सुदा आराजी नम्बर 693 में आने जाने के लिए गैर मुमकिन सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 673, 663, 682, 685, 684 के दक्षिण के रास्ते से होकर मुझ गोपाल माली की आराजी नम्बर 694 की मेड पर होकर आ जा रहा है व जब मेरी आराजी नम्बर 694 खाली होती है तब सोहन लाल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि से अपनी आराजी नम्बर 693 में होने वाली फसल व घास को घर ले जाता आ रहा है । आराजी नम्बर 692 व 1279 व 1281 के मध्य कभी कोई रास्ता नहीं था एवं आराजी नम्बर 693 के ऊपर एक 38 वर्ष पुराना बबूल खडा है , कभी कोई रास्ता नहीं था । वह रास्ता लम्बा पडता है तथा अब छोटा रास्ता प्राप्त करने के लिए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गलत दावा पेश किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी/प्रार्थी के पास पूर्व से ही अपनी आराजी मं आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी हालात में ग्राम कानिया की आराजी नम्बर 1281/1 में होकर नवीन रास्ता प्रत्यर्थी/प्रार्थी को नही दिया जा सकता है। क्योंकि आराजी नम्बर 1281 के किसी भी बटा नम्बर में होकर प्रत्यर्थी/प्रार्थी की ग्राम खेडी में स्थित आराजी नम्बर 693 में आने–जाने के लिए कभी कोई रास्ता मौजूद ही नहीं रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि एक ही सम्पति/आराजी नम्बर 693 पर आने–जाने के लिए अनुतोष के लिए प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने सिविल न्यायालय गुलाबपुरा में सुखाचार बाबत एक वाद प्रस्तुत किया तथा दूसरा वाद उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के यहॉ 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। इस बाबत अपीलार्थीगण/विपक्षीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एतराज भी किया था। एक ही अनुतोष मांगते हुए अलग–अलग न्यायालयों में भिन्न–भिन्न आधारों पर कार्यवाही नहीं चल सकती है। सिविल कोर्ट गुलाबपुरा में पटवारी हल्का खेजडी की मोजूदगी में उसके द्वारा उपलबध कराये गये रेकार्ड के आधार पर कमीश्नर ने मौके परजाकर पक्षकारान, के समक्ष मौका देखकर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसकी प्रति भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसमें प्रत्यर्थी/प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 693 पर आने–जाने के लिए सरकारी रास्ता नम्बर 673, 663, 685 से होकर गोपाल माली की आराजी नम्बर 694 में होते हुए आराजी नम्बर 693 व 697 पर आने जाने हेतु आराजी नम्बर 694 में

भू. प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्पष्ट रूप से रास्ता बताया हुआ है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कमीश्नर की इस रिपोर्ट व मौका पर्चा को नजरंदाज करते हुए गिरदावर हल्का गागेडा द्वारा बनाई गई रिपोर्ट जो तहसीलदार हुरडा के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी उसको आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं है। गिरदावर हल्का गागेडा द्वारा बनाई गई रिपोर्ट फर्जी तौर पर बनाई गई है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका नहीं देखा गया । उक्त रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने गिरदावर द्वारा दी गई रिपोर्ट में निकटतम रास्ता आराजी नम्बर 1279 व 1281/1 में होना दर्शाया गया है जा कि निकटतम रास्ता बताया है। निकटतम रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है जब प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि चूंकि प्रत्यर्थी/प्रार्थी के पास अपनी आराजी नम्बर 693 पर पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम रास्ता आराजी नम्बर 1281/1 में से दिया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डी एन जे (1) रेवेन्यू 2017, आर आर टी 2016 (1) पेज 649, डी एन जे 2016 रेवेन्यू पेज 222, आर आर टी 2014 (1) पेज 40, आर बी जे 2005 पेज 698, आर आर टी 2016 (2) पेज 1281 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी अपनी क्रय सुदा आराजी नम्बर 693 पर आने जाने के लिए अपनी स्वयं की आराजी नम्बर 1279 एवं अपीलार्थी की आराजी नम्बर 1281/1 की पश्चिमी मेड से होकर आता–जाता रहा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से असुविधा होने के कारण प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय मे गिरदावार हल्का गागेडा द्वारा बनाया गया पर्चा मौका जरिये तहसीलदार, द्वारा प्रस्तुत किया गया । जिसमें प्रत्यर्थी को अपनी आराजी नम्बर 693 पर पहूँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना एवं निकटतम रास्ता प्रत्यर्थी/प्रार्थी की आराजी नम्बर 1279 एवं 1281/1 जो कि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की थी की पश्चिमी मेड पर होकर 10 फीट चौडा रास्ता दिये जाने की अनुशंषा करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन ओदश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने नियमानुसार राशि भी जमा करा दी है। **जहॉ तक गोपाल माली द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किये जाने का प्रश्न है कि " प्रार्थी सोहन लाल ब्राह्मण अपनी क्रय सुदा आराजी नम्बर 693 में आने जाने के लिए गैर मुमकिन सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 673, 663, 685, 762 से होकर मुझ गोपाल माली की आराजी नम्बर 694 की दक्षिणी मेड पर होकर आ जा रहा है जो 6 फीट चोडी पगडण्डी है व जब मेरी आराजी नम्बर**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

**694 में फसल नहीं होती है तब सोहन लाल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि से अपनी आराजी नम्बर 693 में होने वाली फसल व घास को घर ले जाता आ रहा है और मैनें मेरी आराजी नम्बर 694 में स्थित इस रास्ते से होकर निकलने के लिए सोहन लाल ब्रह्मण का कभी भी मना नहीं किया है।" इस संबंध में निवेदन है कि गोपाल माली ने आराजी नम्बर 694 को भी विक्रय कर दिया है वह वर्तमान में आराजी नम्बर 694 का खातेदार काश्तकार नहीं हैं ।**

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का यह भी निवेदन है कि जहॉ तक सिविल कोर्ट गुलाबपुरा में पटवारी हल्का खेजडी की मोजूदगी में उसके द्वारा उपलबध कराये गये रेकार्ड के आधार पर कमीश्नर ने मौके पर जाकर पक्षकारान, के समक्ष मौका देखकर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसमें प्रत्यर्थी/प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 693 पर आने–जाने के लिए सरकारी रास्ता नम्बर 673, 663, 685 से होकर गोपाल माली की आराज़ी नम्बर 694 में होते हुए प्रत्यर्थी की आराजी संख्या 693 में पहूॅचना बताया हुआ है। परन्तु आराजी नम्बर 694 में जो 5 फीट चौडी पगडण्डी का रास्ता बताया हुआ है उस रास्ते का कोई स्पेशिफिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं है एवं न ही आराजी नम्बर 694 के रकबे में से रास्ते के रकबे को कम ही किया गया है। उक्त रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराने में अधिक राशि लगेगी। धारा 251 ए में पूर्व में वही चाहा गया रास्ता होने के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है। गिरदावर रिपोर्ट देने हेतु अधिकृत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1003 एवं आर आर टी 2016 (1)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पेज 440 की ओर प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपनी आराजी नम्बर 693 पर आने–जाने के लिए प्रार्थी की आराजी नम्बर 1279 में से होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1281 व आराजी नम्बर 692 में से 10 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया । जबकि जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण/विपक्षीगण ने यह कथन अंकित किया कि प्रार्थी सोहन लाल ने पूर्व में पटवार हल्का खेजडी के ग्राम खेजडी के खातेदार गोपाल माली से कुल चार नम्बर 693, 694, 696 एवं 697 का एक ही चक था तथा चारों खेतों में गोपाल माली आराजी नम्बर 685 गैर मुमकिन रास्ता से हाकर बाद में 694 के सहारे होते हुए जो कि गोपाल माली की ही आराजी थी उसमें होते हुए आराजी नम्बर 693 पर आता जाता था। प्रार्थी ने 1980 में गोपाल से आराजी नम्बर 693 क्रय की है। अब प्रार्थी उसके खेत नम्बर 1279 के दक्षिण दिशा से विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1281 से होकर क्रय सुदा आराजी नम्बर 693 में आने–जाने के लिए रास्ता चाह रहा है। जबकि आराजी नम्बर 1281 जो कि विपक्षीगण की है उसमें से पहले कोई रास्ता नहीं था। बल्कि सोहन लाल के लिए आराजी नम्बर 693 में आने–जाने के लिए राजस्व रेकार्ड में 673, 663,685 से होकर आराजी नम्बर 694 की मेड के सहारे आराजी नम्बर 693 में पूर्व से ही आता जाता था। जब गोपाल माली ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी को भूमि बेची उसके बाद भी प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है।

12. प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने सिविल न्यायालय में रास्ते बाबत एक वाद प्रस्तुत किया था । जिसमें सिविल न्यायालय के आदेश की पालना में मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था जिसने 25.6.2014 को विवादित स्थल का मौका निरीक्षण किया जिसमें पटवारी हल्का एवं उभयपक्ष मौजूद थे। उस मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । जिसमें प्रार्थी/प्रत्यर्थी को अपनी आराजी नम्बर 693 पर आने–जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता नम्बर 673, 663, 685 से होते हुए आराजी नम्बर 694 की दक्षिणी दिशा की मेड के सहारे पगडडी दर्शाई गई है जो प्रार्थी की आराजी नम्बर 693 तक पहूँचंती है। उक्त पगडण्डी को डोट–डोट से दर्शाया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट के बिन्दु नम्बर 2 में अंकित किया गया है कि '' यह कि मौके पर 673, 663, 685 राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है जिसमें से 663 व 673 बिलानाम सरकार है, 685 खातेदारी रास्ता है मौके पर खुला है और किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। '' बिन्दु नम्बर 3 में अंकित किया गया है '' यह कि 685 रास्ते के पूर्वी दिशा की आरे एक कुआ व एक **कमरा** बना हुआ है तथा 694 आराजी व 696 के मध्य पगडण्डी बनी हुई है जो 693 व 697 आराजी पर जाने आने के लिए है। जो करीब 5 फीट चोडी है। '' उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य बखूबी प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है जो अवरूद्ध भी नहीं है। जब अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त मौका रिपोर्ट की फोटो प्रति उपलब्ध थी। तब ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है। उसके आधार पर प्रत्यर्थी/प्रार्थी को ग्राम कानिया की आराजी नम्बर 1279

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की पश्चिम दिशा में होकर अप्रार्थी की आराजी नम्बर 1281/1 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा 05 बिस्वांसी में 5 फीट लम्बा व 10 फीट चौडा रास्ता जिसका रकबा 1 बिस्वा होता है अप्रार्थी के खाते से कम की जाकर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हुरडा द्वारा अग्रेषित गिरदावर रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेश के आधार पर जो रास्ता प्रस्तावित किया है वह निकटतम रास्ता होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जब प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था जो सिविल न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के उपरान्त बनाये गये मौका पर्चा से प्रमाणित हो रहा था । उसके बावजूद अपीलाधीन निकटतम रास्ता होना मानते हुए आदेश पारित किया गया है अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में जबकि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो ऐसी स्थिति में सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। प्रत्यर्थी का यह कथन है कि 694 आराजी व 696 के मध्य पगडण्डी बनी हुई है जो 693 व 697 आराजी पर जाने आने के लिए है। उसका राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में आराजी नम्बर का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नहीं हो रखा है एवं न ही आराजी नम्बर 694 में से कोई रकबा ही कम किया गया है। यदि उस रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी दर्ज कराना चाहता है तो उसके लिए वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण भी प्रकरण पर बखूबी चस्पा हाते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.8.2016 को निरस्त किया जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/3/18

( निमिषा गुप्ता )
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा